राजस्थान सरकार

माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,

अशोक नगर मेन रोड़, उदयपुर– 313 001 (राज.)

Phone – Telefax (0294) 2410958, (फोन.नं.) 2414352 E-Mail : tri.udp@rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ–1(2) NEET-JEE / टीआरआई / 2020–21 / 2019-५६ दिनांकः– 18-01-2021

आदेश

शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिये जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा राजस्थान राज्य के निम्नलिखित योजनाओं में राजस्थान के मूल जनजाति छात्र/छात्राओं **(अनुसूचित क्षेत्र TSP के लिए)** से ऑनलाईन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट **www.tad.rajasthan.gov.in** के Home page पर ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES लिंक पर आवेदन आंमत्रित करने, संस्था द्वारा प्राप्त समस्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की विस्तृत जॉच उपरान्त स्वीकृति जारी कर स्वीकृतिशुदा आवेदन पत्रों का सम्बन्धित विद्यार्थियों के भामाशाह कार्ड में अंकित बैंक खातों में राशि जमा कराना एवं आक्षेप योग्य आवेदन पत्रों को सम्बन्धित विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (फारवर्ड) करने के लिए निम्नानुसार तिथियॉ निर्धारित की जाती है।

1 जनजाति छात्र/छात्राओं **(अनुसूचित क्षेत्र TSP के लिए) माडा क्षेत्र एवं बिखरी जनजाति आबादी** को मेडिकल एवं तकनीकी प्रवेश परीक्षा/ NEET / JEE हेतु कोटा/उदयपुर/ **जयपुर /सीकर** स्थित संस्थाओं में निःशुल्क परीक्षा पूर्व कोचिंग

जनजाति विभाग द्वारा संचालित चिकित्सा एवं तकनीकी NEET / JEE परीक्षा पूर्व कोचिंग योजनाओं के आवेदन पत्र के सम्बन्ध में निर्धारित दिनांक

	विवरण	निर्धारित दिनांक
1	ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की तिथि	2 फरवरी, 2021

नवीन प्रोत्साहन योजनाओं 2020–21 में पेपरलेस ऑन लाईन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के लिए दिशा निर्देश –

1. सभी प्रोत्साहन योजनाओं में जिनके माता–पिता या अभिभावक आयकरदाता नही हो, उनके परिवार के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेगे।
2. ऑनलाईन आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन को ऑनलाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज/सूचनाएँ तैयार रखना आवश्यक होगा एवं आवश्यकतानुसार मूल दस्तावेज को स्केन कर पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड करना होगा, जैसे– भामाशाह कार्ड, आधार नम्बर, आय की घोषणा, मूल निवास प्रमाण–पत्र, 10वी की अंक तालिका, गत अन्तिम परीक्षा की अंकतालिका, फीस की रसीद आदि।
3. आय का घोषणा पत्र निर्धारित प्रपत्र में ही बनाकर मूल ही स्केन कर पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड करना होगा। माता–पिता जीवित होने की स्थिति में माता–पिता के जीवित नही होने की स्थिति मे अभिभावक का प्रमाण–पत्र व विवाहित महिला होने की स्थिति में पति द्वारा आय की घोषणा की जायेगी। माता–पिता नियोजित होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी एक पृष्ठीय मूल आय–प्रमाण स्केन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा।

4. विद्यार्थियों की आधारभूत सूचनाएँ जैसे– नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म बैंक खाता संख्या, मोबाईल नम्बर आदि भामाशाह पोर्टल से ली जा रही है। आपके शैक्षणिक रिकार्ड एवं भामाशाह पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता हो तथा शैक्षणिक रिकार्ड के मुताबिक परिवर्तन कराना चाहता है, तो भामाशाह पोर्टल में अंकित सूचना में भामाशाह पोर्टल के माध्यम से ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. विद्यार्थी की प्रोत्साहन राशि भामाशाह कार्ड में अंकित विद्यार्थी के बैंक खाता में हस्तान्तरित होगी। भामाशाह पोर्टल में विद्यार्थी के नाम के सामने विद्यार्थी का बैंक खाता संख्या नही होने की स्थिति में भामाशाह कार्ड में दिये गये परिवार के मुखिया के बैंक खाते में राशि हस्तान्तरित होगी। यदि विद्यार्थी अपने खाते में ही राशि हस्तान्तरित करवाना चाहता है, तो विद्यार्थी को भामाशाह पोर्टल पर अपना बैंक खाता संख्या अंकित करवाना अनिवार्य होगा।
6. विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक संस्थान/पाठ्यक्रम/अथवा अन्य का चयन किया जाता है एवं इस आधार पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त हो जाता है तो इसके लिए विद्यार्थी स्वंय जिम्मेदार होगा।
7. विद्यार्थी को आक्षेप की पूर्ति के लिए भी अधिकतम सात दिन का समय प्रदान किया जाएगा। यदि विद्यार्थी सात दिन में आक्षेप की पूर्ति नही करता है तो ऐसा ऑनलाईन आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।
8. योजनान्तर्गत राज्य में कोविड महामारी के कारण ऑनलाईन कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं से भी ऑनलाईन आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जा रहे है ।

जनजाति छात्र/छात्राओं (अनुसूचित क्षेत्र TSP के लिए) माडा क्षेत्र एवं बिखरी जनजाति क्षैत्र एवं मेडिकल एवं तकनीकी NEET/JEE प्रवेश परीक्षा हेतु परीक्षा पूर्व निःशुल्क कोचिंग के लिए चयनित कोटा/उदयपुर /जयपुर /सीकर स्थित संस्थाओं का विवरण

अनुसूचित क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :–

1. बांसवाड़ा पूर्ण जिला
2. डूंगरपुर पूर्ण जिला
3. प्रतापगढ़ पूर्ण जिला
4. उदयपुर जिले की (कुल 11 तहसील) – कोटड़ा, झाड़ोल (तत्कालीन फलासिया), लसाड़िया, सलूम्बर, सराडा, खेरवाड़ा, ऋषभदेव, गोगुन्दा, गिर्वा, अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम, मावली एवं वल्लभनगर अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम
5. राजसमन्द जिले की (कुल 2 तहसील) – कुम्भलगढ़ एवं नाथद्वारा तहसील अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम
6. चितौडगढ़ जिले की (कुल 1 तहसील) – बडी सादडी तहसील अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम
7. पाली जिले (कुल 1 तहसील) – बाली तहसील अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम
8. सिरोही जिले (कुल 2 तहसील) – आबूरोड़ एवं पिण्डवाडा तहसील अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम

राजस्थान सरकार

माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,

अशोक नगर मेन रोड़, उदयपुर– 313 001 (राज.)

Phone – Telefax (0294) 2410958, (फोन.नं.) 2414352 E-Mail : tri.udp@rajasthan.gov.in

क्र. सं.	कोटा स्थित संस्थाएं	
1.	ऐलन केरियर इंस्टीट्युट "संकल्प भवन" सी.पी.–6, इन्द्र विहार, कोटा	अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी) के मूल पात्र जनजाति छात्र/छात्राओं हेतु।
2	केरियर पॉइन्ट, सी.पी. टॉवर, रोड़ नम्बर–1, इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा	
3	रेजोनेंस, इडूवेन्चर्स प्रा. लि., जे–2, जवाहरनगर, मेन रोड़, कोटा	
4	मोशन आईआईटी, कोटा	
5	आकाश कोंचिग इंस्टीट्युट, कोटा	
6	इन्फाइनाईट कोचिंग, कोटा	
7	एस्पायर कोचिंग इंस्टीट्युट, कोटा	
8	सर्वोत्तम केरियर इंस्टीट्युट, कोटा	
	उदयपुर स्थित संस्थाएं	
1.	ऐसेन्ट केरियर पोईन्ट, 387–388, हिरण मगरी सेक्टर नम्बर–3, उदयपुर	
2.	एम.के. जैन क्लासेज, 7, दुर्गानर्सरी रोड, उदयपुर	
3	रेजोनेंस, इडूवेन्चर्स प्रा. लि., उदयपुर।	
4	आकाश कोंचिग इंस्टीट्युट, उदयपुर।	

क्र. सं	संस्था का नाम	
	(1) कोटा स्थित संस्थाएं :	माडा क्षेत्र एवं बिखरी जनजाति आबादी के मूल पात्र जनजाति छात्र/छात्राओं हेतु।
I	रेजोनेंस, इडूवेन्चर्स प्रा. लि., जे–2, जवाहरनगर, मेन रोड़, कोटा	
II	ऐलन केरियर इंस्टीट्युट "संकल्प भवन" सी.पी.–6, इन्द्र विहार, कोटा	
III	केरियर पॉइन्ट, सी.पी. टॉवर, रोड़ नम्बर–1, इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा	
IV	मोशन आईआईटी, कोटा	
V	आकाश कोंचिग इंस्टीट्युट, कोटा	
VI	इन्फाइनाईट कोचिंग, कोटा	
VII	एस्पायर कोचिंग इंस्टीट्युट, कोटा	
VIII	सर्वोत्म केरियर इंस्टीट्युट, कोटा	
	(2) जयपुर स्थित संस्थाएं :	
I	निश्चय आईएएस एकेडमी, जयपुर	
II	रेजोनेन्स इन्स्टीट्यूट, जयपुर	
III	ऐलेन केरियर इन्स्टीट्यूट, जयपुर	
IV	इनोवेशन, जयपुर	
V	केरियर पोइन्ट, जयपुर	
VI	आकाश कोचिंग इन्स्टीटयुट जयपुर	
VII	बिनोरी केरीयर इन्स्टीट्यूट, जगतपुरा, सांगानेर, जयपुर	

राजस्थान सरकार
माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,
अशोक नगर मेन रोड़, उदयपुर– 313 001 (राज.)
Phone – Telefax (0294) 2410958, (फोन.नं.) 2414352 E-Mail : tri.udp@rajasthan.gov.in

	(3) सीकर स्थित संस्थाएं :	
I	केरियर लाईन कोचिंग, (CLC) "लक्ष्मी निवास" पीपरली रोड़, सीकर	
II	गुरूकृपा करियर इन्स्ट्टीयूट, PMT डिविजन ज्योति नगर पीपरली रोड़, सीकर/जेईई डिविजन हनुमान नगर नवलगढ़ रोड़ सीकर	
III	मेट्रीक्स अकेदमी, अपोजिट रिलाइन्स पेट्रोल पम्प, पीपरली रोड़, जाट कॉलोनी, सीकर	
IV	प्रिन्स करियर पॉइनीयर, पालवास रोड़, सीकर	
V	समर्पण करियर इन्स्ट्टीयूट, पीपरली रोड़, सीकर	
VI	कौटिल्या, पीपरली रोड़, सीकर	

- संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली "प्रवेश परीक्षा–2020" में उत्तीर्ण कर प्रवेश लेने वाले योग्य छात्र/छात्राएं इस हेतु आवेदन के पात्र होंगे।
- कक्षा 12 वीं (विज्ञान) में प्राप्त अंकों के आधार पर वरियता से छात्र/छात्राओं का चयन किया जावेगा।
- पूर्व में योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर चुके छात्र/छात्राएं पात्र नहीं होंगे।
- योजना अन्तर्गत संस्थान द्वारा निम्न परिलाभ राज्य सरकार के नियमानुसार देय होंगे :

(अ) कोर्स फीस का पुनर्भरण मूल रसीद प्रस्तुत करने पर अधिकतम रुपये 55,000/– (अक्षरे पचपन हजार) देय होंगे।

(ब) प्रतिमाह 1000/– की छात्रवृत्ति (अधिकतम मार्च, 2021 या 10 माह/जो भी कम हो।) संस्थान द्वारा जारी 80 प्रतिशत न्यूनतम सीमा तक उपस्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर ।

(स) रू. 5000/– की सहायता राशि एक मुश्त (पुस्तकें, स्टेशनरी क्रय करने के मूल वाउचर प्रस्तुत करने पर)

(गोविन्द सिंह राणावत)RAS
निदेशक